ऑन लाइन फार्म भरने के ललए अनुदेश

1. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विवरणिका और अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. आपके आवेदन को भरने के लिए उपयोग में लाई गई ई-मेल आई डी आवेदक की ही होनी चाहिए | यह सुनिश्चित कर लें कि ई-मेल आई.डी. वैध हो और काम कर रही हो। भविष्य में ई-मेल आई.डी. में बदलाव की कोई गुंजाइश (स्कोप) नहीं है।
3. आवेदन जमा किये जाने की तिथि को, आवेदक 18 वर्ष पूरे कर चुका हो। (कृपया विवरणिका के पात्रता बिंदु (2) का संदर्भ लें।)
4. आवेदक अपने सही पेन नम्बर का उल्लेख करें। इस जानकारी के बिना प्रस्तुत आवेदन-पत्र को अधूरा माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। (कृपया विवरणिका के पात्रता बिंदु (2.8) का संदर्भ लें।)
5. आवेदन-पत्र भरने से पहले आवेदक को अलग फाइलों के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को स्केन और स्टोर करना होगा। ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसे अपलोड करने की आवश्यकता होगी।

   (क) आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो, जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए |

   (ख) आवेदक के हस्ताक्षर भी जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और उसका साइज 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए |

   (ग) आवेदक की पासपोर्ट आकार की संयुक्त फोटो, जो जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए (यदि कोई आवश्यक हो)।

   (घ) आवेदक के संयुक्त हस्ताक्षर भी जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और उसका साइज 100 केबी से अधिक न हो (यदि कोई आवश्यक हो)। संयुक्त आवेदक रक्त संबंधी होने चाहिए अथवा पति/पत्नी (स्पाउस) होने चाहिए। संयुक्त आवेदक के मामले में, आवेदकों को संयुक्त आवेदक का नाम और संयुक्त आवेदक (अर्थात् यदि आवेदक पति है और संयुक्त आवेदक पत्नी है तो संबंध वाले कॉलम को पत्नी के रूप में भरा जाएगा) के साथ आवेदक के संबंध का उल्लेख करना होगा और संयुक्त आवेदक के फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन इमेज भी अपलोड करना होगा। (कृपया विवरणिका के पात्रता बिंदु 2.9 देखें। कृपया सुनिश्चित कर लें कि उक्त दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय हो। आवेदक/संयुक्त आवेदक के अपने हस्ताक्षर (कॉली स्याही वाले पैन से सफेद कागज पर) स्कैन होने चाहिए।

6. यदि पति और पत्नी दोनों अलग-अलग आवेदन करते हैं तो आवेदक को पत्नी/पति की आवेदन संख्या का उल्लेख करना होगा।

7. असफल आवेदक के मामले में राशि की वापसी के लिए कृपया एनआरआई खाता या चालू खाता बैंक खाता संख्या बाक्स में दर्ज न करें।
8. ऑन लाइन आवेदन फार्म में रेड स्टार (.) मार्क वाली फील्ड को आवेदक द्वारा भरना अनिवार्य और जरूरी है।

पंजीकरण फार्म, आवेदन फार्म को भरने तथा भुगतान करने के चरण

आवेदन फार्म का ऑन लाइन सबमिशन वेबसाइट www.dda.gov.in पर लिंक “विशेष आवास योजना 2021 पर उपलब्ध है। आवेदक किसी भी प्रविष्टि को भरने अथवा विकल्प चयन करने से पहले अनुदेशों और विवरणिका को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। ऑन लाइन फार्म भरते समय आवेदक को सभी अपेक्षित विवरण देने होंगे।

आपके आवेदन के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के तीन चरण हैं- :-

चरण-1 पंजीकरण

a) भाग- I में, इच्छुक आवेदकों को आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आई डी जैसी मूल सूचनाओं की प्रविष्टि करके अपने आप को पंजीकृत कराना होगा | पंजीकरण फार्म विशेष आवास योजना 2021 वेबसाइट www.dda.gov.in पर उपलब्ध है। विवरण प्रस्तुत करने पर, पासवर्ड पृष्ठ प्रदर्शित होगा और आवेदक को वहां पासवर्ड बनाना होगा।

चरण- II व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, पते का विवरण, श्रेणी और स्थान- वरीयता चयन को भरना एवं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना

a) भाग- II में, आवेदक को आवेदन फार्म भरने के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड की प्रविष्टि करके लॉग ऑन करना होगा।
b) सफलतापूर्वक लॉगिंग होने पर निम्नलिखित विकल्पों के साथ आवेदन फार्म भरने के लिए फार्म स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। विशेष आवास योजना 2021 वेबसाइट में लैफ्टसाइड मैन्यू पर सभी विकल्प उपलब्ध हैं :-

(i) डीडीए की योजनाए	:योजना का चयन करने और आवेदन पत्र भरने के लिए
(ii) आवास आवेदन	:आवेदन पत्र देखने के लिए और भुगतान ऑनलाइन करने के लिए
(iii) मेरा भुगतान	:भुगतान विवरण देखने के लिए

c) आवेदन फार्म पर दो बटन हैं। पहला “सेव ड्राफ्ट" बटन है और दूसरा “सबमिट" बटन (अंतिम) है।
   - "सेव ड्राफ्ट" बटन दबाने पर आवेदन का विवरण ड्राफ्ट मोड में सुरक्षित हो जाएगा।
   - “सबमिट" बटन दबाने पर आवेदन फार्म अंतिम रूप से जमा हो जाएगा तथा फाइनल सबमिशन के बाद इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।
d) व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, पता विवरण, संयुक्त आवेदकों का विवरण भरें और आवेदन फार्म में श्रेणी तथा स्थान की वरीयताओं का चयन करें।
e) आवेदक एवं संयुक्त आवेदक (यदि कोई हो) का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन फोटो अपलोड करें।
f) पेज के नीचे आवेदक के लिए एक घोषणा दी गई है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे घोषणा में निर्दिष्ट बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

g) घोषणा के चैक बॉक्स का चयन कर उस पर क्लिक करें और उसके बाद सेव ड्राफ्ट | सबमिट मोड (अंतिम) में आवेदन फार्म को सबमिट करें।

1) आवेदक सेव ड्राफ्ट मोड में, आवेदक आवेदन विवरण को संपादित कर सकता है।

ii) आवेदक सबमिट मोड में, आवेदन विवरणों को अंतिम तौर पर सबमिट कर सकता है।

h) आवेदक सबमिट मोड में आवेदन फार्म को सबमिट (अंतिम) करने के बाद, आवेदक को पंजीकरण राशि ऑनलाइन करनी होगी।

नोट - यदि आपने पहले डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 के लिए आवेदन किया है तो आपको फिर से पंजीकरण प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप अपने पिछले क्रेडेंशियल के साथ सीधे लॉग इन कर सकते हैं और विशेष आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चरण-III पंजीकरण राशि का भुगतान

a) एक बार आवेदन फार्म के अंतिम रूप से सबमिट हो जाने पर आवेदक उसके बाद आवेदन विवरणों में परिवर्तन नहीं कर सकता है लेकिन नेट बैंकिंग द्वारा अथवा एन ई एफ टी / आर टी जी एस रूप से पंजीकरण राशि का भुगतान कर सकता है। अंतिम रूप से फार्म सबमिट करते समय अगली स्क्रीन पर पेमेंट तरीका ऑप्शन उपलब्ध है और यह विकल्प डीडीए विशेष आवास योजना 2021 वेबसाइट के आवास आवेदन लिंक में लेफ्टसाइड मैनू पर भी उपलब्ध होगा।
b) बैंक का नाम और भुगतान विधि का चयन करने के बाद, भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र संख्या, राशि और "जारी रखें" बटन दिखाने के साथ अगली स्क्रीन ई-चालान प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन पत्र की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को भुगतान करना होगा। ई-चालान का प्रिंटआउट लेने का भी प्रावधान है।
c) यदि आवेदक "एन ई एफ टी/आर टी जी एस विकल्प का चयन करता है तो आवेदक को बैंक चालान सृजित करने के लिए बैंक का चयन करना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा। अगली स्क्रीन पर चालान प्रदर्शित होगा और ऑन लाइन सृजित चालान का प्रिंट लें तथा किसी भी ऐसे बैंक में पंजीकरण राशि जमा करवाएं जहाँ उसका खाता है।
d) यदि आवेदक "नेट बैंकिंग" विकल्प का चयन करता है तो आवेदक को संबंधित बैंक की वेबसाइट द्वारा ऑन लाइन भुगतान करने के लिए बैंक का चयन करना होगा।
e) अंत में आपकी भुगतान प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के बाद, अगला पेज अर्थात् भुगतान विवरण को दर्शाने वाली पावती पर्ची प्रदर्शित होगी।
f) इस प्रक्रिया में उस स्थिति में भी पावती पर्ची का प्रिंट लेने का प्रावधान है जब भुगतान के बाद पहले पावती पर्ची प्रिंट न हुई हो। यह सुविधा "मेरा भुगतान" पेज पर उपलब्ध है।

नोट: हिंदी ब्रोशर में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी ब्रोशर के अनुसार नियम और शर्तें लागू होंगी

यदि पति और पत्नी दोनों आवेदन कर रहे हैं, तो दोनों आवेदन फॉर्मों को ड्राफ्ट मोड में जमा करना होगा। ड्राफ्ट मोड में दोनों आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन फॉर्म नं. उत्पन्न होता है। फिर, आवेदक को इस आवेदन फॉर्म नं. को विपरीत आवेदन पत्र में भरना है। इसके बाद, आवेदक अंतिम मोड में आवेदन पत्र जमा कर सकता है।

नोटः- आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया (अर्थात् आवेदन फार्म और भुगतान) को विशेष आवास योजना 2021 की शुरुआत से समापन की अर्ध रात्रि (12.00 बजे) तक पूर्ण करने की अनुमति दी जाती है|